न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-454RAAJodhpur2022-282RTA225 Hasusingh ors Vs Kansingh etc

01. हसुसिंह पुत्र श्री बालुसिंह
02. ओमसिंह पुत्र श्री बालूसिंह
03. श्रीमती भवंरी पत्नी श्री भंवरसिंह
04. मदन सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह
05. जसवन्त सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह
06. राजुसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह
07. मोतीसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह
08. जितुसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह

सभी जातियान् राजपुरोहित, निवासीगण- ग्राम बाबा रामदेव नगर, तहसील औसियां, जिला जोधपुर, राज.

/

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. कानसिंह पुत्र श्री शिवनाथसिंह
2. प्रेमसिंह पुत्र श्री शिवनाथसिंह
3. मोहनसिंह पुत्र श्री शिवनाथसिंह
4. राजो पत्नी हरिसिंह
5. देवीसिंह पुत्र श्री हरिसिंह
6. अनोपसिंह पुत्र श्री हरिसिंह
7. जगदीशसिंह पुत्र श्री हरिसिंह
8. सुगनो पत्नी जेठुसिंह
9. माधोसिंह पुत्र श्री जेठुसिंह
10. रूघनाथसिंह पुत्र श्री जेठुसिंह

सभी जातियान् राजपुरोहित, निवासीगण- ग्राम बाबा रामदेव नगर, तहसील औसियां, जिला जोधपुर, राज./

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार औसियां, जिला जोधपुर/

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 16 अगस्त 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 746/2021 कानसिंह व अन्य बनाम हसुसिंह इत्यादि

उपस्थित-

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री रुघाराम चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. सं. 1 से 10
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 11

नि र्ण य

दिनांक : 31 जनवरी 2023

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 746/2021 कानसिंह व अन्य बनाम हसुसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 16 अगस्त 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 21 अक्टूबर 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से दस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 1102 रकबा 5.0828 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 1104 रकबा 9.0326 हैक्टेयर ग्राम बाबा रामदेव नगर तहसील ओसियां में आवागमन हेतु अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नं. 1101 रकबा 2.4281 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 1106 रकबा 11.3312 हैक्टैयर में सें प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नजरी नक्शे अनुसार 15 फीट चौड़ा रास्ता चाहा तथा अपीलाधीन रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। अपीलांट्स की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर प्रार्थीगण/रेस्पो. को सुनकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16 अगस्त 2022 के जरिये प्रार्थीगण/रेस्पो संख्या एक से दस का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश सक्षम विधि के विरुद्ध, एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के प्रतिकूल एवं अपीलार्थी को सुनवाई एवं उज्र पेश करने का अवसर दिये बिना पारित फरमाया गया। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार मौके पर पहले से ही रास्ता मौजूद था, इसलिए नये रास्ते की मांग नहीं की जा सकती है, जो रास्ते की मांग की गई है वह अधिनियम के प्रावधानों की मंशा के विपरीत की गई है जो अपास्त योग्य है। मौका रिपोर्ट भी अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में तैयार की गई है तथा मौका रिपोर्ट सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नहीं की गई है। मौका रिपोर्ट को देखने से प्रथमदृष्टया ही प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थीगण अत्यधिक लम्बा व अपीलार्थीगण की असुविधा के अनुसार रास्ते का आदेश दिया गया है। अपीलार्थीगण के खेत के मध्य से रास्ता दिया जाने के कारण अपीलार्थीगण का खेत दो भागो में विभक्त हो गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिये गये रास्ते का खुलासा नहीं किया है तथा रास्ता भी पूर्ण रूप से नहीं दिये जाने के कारण माने जाने योग्य नहीं है तथा न ही रास्ते की लंबाई चौड़ाई का वर्णन किया गया है, इस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर वकील अपीलांट्स के कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के नोटिस सम्यक रूप से तामील करवाये बिना ही एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए आलौच्य आदेश पारित किया है। वर्तमान में मौके पर पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन की जानकारी की बात कहने पर आलौच्य आदेश के बारे में जानकारी हुई, जिस पर नकल हेतु आवेदन दिनांक 18.10.2022 को किया एवं उसी दिन नकल तैयार होकर मिली, जिसे पढकर सुनाये जाने पर अपीलार्थीगण को प्रथम बार जानकारी हुई। अपीलांट्स द्वारा जानकारी से अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई हैं जो किसी अनुचित लाभ के लिए देरी नहीं की गई है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 16 अगस्त 2022 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से दस ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया रेस्पोडेंट संख्या एक से दस के लिए आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता मौके पर उपवलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को रजिस्डर्ट सम्मन के जरिये तलब किया , फिर भी वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. पक्ष को सुनकर प्रस्तुत मौका फर्द के अनुसार लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया है। उक्त खसरान् के मेड़ के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सहारे-सहारे धोरे होने से अपीलाधीन रास्ता बीच में से दिया गया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. डाक की बजाय स्पीड पोस्ट से भिजवाये गये, जिनकी पावत्ति रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसलिए नियमानुसार अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील नहीं मानी जा सकती है। रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम के विरोध में कांउटर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा मामले का गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम न्याय हित में स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा द्वारा प्रदत अपीलाधीन रास्ता खसरा नं.1101 एवं 1106 के बीच में से दिया गया है, जिससे अपीलांट्स के उक्त खातेदारी खसरान् दो असमान भागों में विभक्त हो गये है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251-ए की मंशा के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदत रास्ते में निरन्तरता का अभाव पाया जाता है। मौका फर्द दिनांक 27.06.2022 के अनुसार प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 1102 एवं 1104 तक आवागमन हेतु रास्ता बिंदु ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, तथा ई से एफ. बताया गया है, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा केवल बिंदु ए से बी, तथा डी से ई, को ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रास्ते के रूप में घोषित किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रदत रास्ते से अपीलांट्स के खातेदारी खेत खसरा नं. 1101 एवं 1106 दो असमान भागों में विभक्त होने तथा प्रदत रास्ते में निरन्तरता का अभाव पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधी आदेश दिनांक 16 अगस्त 2022 को अपास्त किया जाता है तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मामले में प्रार्थीगण रेस्पोडेंट्स के खेत खसरा नं. 1102 एवं 1104 में आवागमन हेतु खसरा नं. 1101 एवं 1106 की माठ के सहारे-सहारे रास्ता दिये जाने हेतु उभय पक्षकारान् की उपस्थिति नवीनी मौका फर्द तलब करे तथा रास्ते की निरन्तरता हेतु खसरा नं. 1102 में सें भी रास्ता घोषित करे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 22 फरवरी 2023 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.01.2023

मंगलाराम पूनिया
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर